



2026:AHC:163134

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27260/2026

मुजीम और एक अन्य

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : उमैर महमूद, विवेक पांडे

प्रतिवादी(यों)

के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री उमैर महमूद और राज्य के विद्वान एजीए श्री हिमांशु कुमार को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका मामला अपराध संख्या 100/2026, धारा 80(2), 85, 115(2) बीएनएस और धारा 3/4 डीपी एक्ट, पुलिस स्टेशन जुनावाई, जिला संभल में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों आवेदक मृतक के जेठ हैं, जिन्होंने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आवेदकों को केवल मृतक के जेठ होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उन्होंने मृतक की मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया था। आवेदकों को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर दहेज हत्या की धारणा लागू करने के लिए, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि मृतक की सास श्रीमती प्यारबानो, जो सह-आरोपी हैं, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 25076/2026 के तहत दिनांक 22.07.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। अतः, समानता के आधार पर याचिकाकर्ता भी जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। अंत में निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 11.05.2026 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।
5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765)** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त याचिकाकर्ता **मुजीम और मुकीम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

iv. आवेदकों को उनके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाना चाहिए।

10. आवेदकों के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित वकील द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदकों को **जेल अधीक्षक, मुरादाबाद** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल** मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय **31.01.2023** को स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4/2021** में दिया गया था और जो **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या **169/2025** में दिए गए निर्णय के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 29.05.2026 को दिया गया था।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका **निस्तारण** हो चुका है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

5 अगस्त, 2026

एसए

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।